रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 597] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 14, 2008/कार्तिक 23, 1930
No. 597] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 14, 2008/KARTIKA 23, 1930

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2008

सा.का.नि. 787(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 205ग की उप-धारा (3) और धारा 610ख के साथ पठित धारा 642 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (विनिधानकर्ताओं की जागरूकता और संरक्षण) नियम, 2001 का संशोधन करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (विनिधानकर्ताओं की जागरूकता और संरक्षण) (संशोधन) नियम, 2008 है ।

(ii) ये नियम 7 दिसम्बर, 2008 से प्रवृत्त होंगे ।

2. विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (विनिधानकर्ताओं की जागरूकता और संरक्षण) नियम, 2001 में, नियम 3 के अधीन विहित प्ररूप 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

प्ररूप 1 **विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में जमा की गई रकम का विवरण**

[विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (विनिधानकर्ता की जागरुकता और संरक्षण) नियम, 2001 के नियम 3 के अनुसरण में]

टिप्पण -- * **चिन्हित सभी स्थानों को अवश्य भरा जाए ।**

1 (क) * कंपनी की निगमित पहचान संख्या (सीआईएन).....

(ख) कंपनी का विश्व अवस्थिति संख्या (जीएलएन)

2 (क) कंपनी का नाम .....

(ख) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता.....

(ग) * कंपनी की ई-मेल आई डी

3. * निधि में रकम के भुगतान के संबंध में सेवा अनुरोध संख्या (एस आर एन).....

4. * निधि में रकम के भुगतान की तारीख..... (तारीख/मास/वर्ष)

5. * निधि मे जमा रकम.....

6. * भुगतान का माध्यम

0 चालान भुगतान (नकद, चेक, डिमांड ड्राफ्ट) 0 आनलाइन भुगतान

7 निधि मे जमा की गई रकम का विवरण

क्रम संख्या	विशिष्टियां	रकम (रु0 में)	वह तारीख जब तक रकम निधि में जमा की जानी चाहिए
(क)	कंपनियों के असंदत्त लाभांश खातों में रकम		
(ख)	कोई प्रतिभूति और प्रति संदेय के लिए देय के आबंटन के लिए कंपनियों द्वारा प्राप्त आवेदन धन		

(ग)	कंपनियों में परिपक्व निक्षेप		
(घ)	कंपनियों में परिपक्व डिबेंचर		
(ङ)	उपर्युक्त खंड (क)से (घ) तक निर्दिष्ट रकम पर उद्भूत ब्याज (i) असंदत्त लाभांश (ii) प्रतिसंदेय के लिए बकाया आवेदन धन (iii) कंपनियों में परिपक्व निक्षेप (iv) कंपनियों में परिपक्व डिबेंचर		
(च)	अनुदान और दान		
(छ)	कुल		

8. वित्तीय वर्ष जिससे रकम संबंधित है .....

संलग्नक

1. अन्य संलग्नक - यदि कोई हो

सत्यापन

मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार इस प्ररूप तथा इसके संलग्नकों में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है । मुझे निदेशक बोर्ड के तारीख * .....(दि./मास/वर्ष) के संकल्प संख्या * ..... के द्वारा इस प्ररूप को हस्ताक्षर तथा प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

निम्नलिखित के द्वारा अंकीय हस्ताक्षरित किए जाएं

कंपनी के प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव

*पदनाम

* निदेशक या प्रबंध निदेशक का डीआई एन ; या प्रबंधक का आयकर पैन ; या सदस्यता संख्या, यदि लागू हो या सचिव का आयकर पैन (कंपनी का सचिव जो आई सी एस आई का सदस्य नहीं है अपना आयकर पैन उल्लिखित कर सकता है /कर सकती है)

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने.....अभिलेखों से ऊपर दी गई विशिष्टियां जिसके अंतर्गत संलग्नक (संलग्नकों)भी हैं) सत्यापित कर ली और उन्हें सत्य और सही पाया है । मैं आगे यह भी प्रमाणित करता हूँ कि सभी अपेक्षित संलग्नक (संलग्नकों) को इस प्ररूप के साथ ठीक तरह से लगाया गया है ।

0 चार्टर्ड एकांउटेंट (पूर्णकालिक व्यवसाय में) या

0 लागत लेखाकार (पूर्णकालिक व्यवसाय में) या

0 कंपनी सचिव (पूर्णकालिक व्यवसाय में)

0 कानूनी संपरीक्षक

0 क्या सहबद्ध, या फेलो .....सहबद्ध .....फेलो

0 सदस्यता संख्या या व्यवसाय संख्या का प्रमाणपत्र

सुधार करें जांच प्ररूप पूर्व संवीक्षा प्रस्तुत

केवल कार्यालय प्रयोग हेतु -

इस ई-प्ररूप को रजिस्ट्रीकृत किया जाता है

प्राधिकृत अधिकारी के अंकीय हस्ताक्षर..... ।" ।

[फा. सं. 1/9/2008 सी एल. वी]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा.का.नि. 750 (अ) तारीख 1 अक्तूबर, 2001 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा. का. नि. 135 (अ) तारीख 3-3-2006 द्वारा पश्चात्वर्ती संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2008

G.S.R. 787(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642 read with section 610B of the Companies Act, 1956 and sub-section (3) of section 205C of the Companies Act (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Investor Education and Protection Fund (Awareness and Protection of Investors) Rules, 2001, namely :-

1. (1) These rules may be called the Investor Education and Protection Fund (Awareness and Protection of Investors) (Amendment) Rules, 2008.

(2) These rules shall come into force from 7th December, 2008.

2. In the Investor Education and Protection Fund (Awareness and Protection of Investors) Rules, 2001, for the Form 1, prescribed under rule 3, the following form shall be substituted, namely:-

FORM 1

Statement of amounts credited to investor education and protection fund

(Pursuant to rule 3 of the Investor Education and Protection Fund (Awareness and Protection of Investors) Rules, 2001]

Note - All fields marked in * are to be mandatorily filled.

1.(a) *Corporate identity number (CIN) of company [redacted]

(b) Global location number (GLN) of company

2.(a) Name of the company

(b) Address of the registered office of the company

(c) *e-mail ID of the company

3. *Service request number (SRN) in respect of payment made to the fund [redacted]

4. *Date of payment of amount to the fund (DD/MM/YYYY)

5. *Amount credited to the fund

6. *Mode of payment

○ Challan payment (cash, cheque, demand draft) ○ Online payment

7. Details of the amount credited to the fund

S.No.	Particulars	Amount (in Rs.)	Date by which amount should have been credited to the fund
(a)	Amount in the unpaid dividend accounts of companies		
(b)	The application money received by companies for allotment of any securities and due for refund		
(c)	Matured deposits with companies		
(d)	Matured debentures with companies		
(e)	Interest accrued on the amounts referred to in clause (a) to (d) above		
	(i) Unpaid dividend		
	(ii) Application money due for refund		
	(iii) Matured deposit with companies		
	(iv) Matured debentures with companies		
(f)	Grants and donation		
(g)	Total		

4409 GI/08-2.

6. Financial year(s) to which the amount(s) relates

Attachments

1. Optional attachment(s) - if any — Attach — List of attachments — Remove attachment

Verification

To the best of my knowledge and belief, the information given in this form and its attachments is correct and complete.

I have been authorised by the Board of directors' resolution number * dated * (DD/MM/YYYY) to sign and submit this form.

To be digitally signed by

Managing Director or director or manager or secretary of the company

*Designation

*Director identification number of the director or Managing Director; or Income-tax permanent account number (income-tax PAN) of the manager; or Membership number, if applicable or income-tax PAN of the secretary (secretary of a company who is not a member of ICSI, may quote his/ her income-tax PAN)

Certificate

It is hereby certified that I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the records of

and found them to be true and correct. I further certify that all required attachment(s) have been completely attached to this form

◯ Chartered accountant (in whole-time practice) or ◯ Cost accountant (in whole-time practice) or

◯ Company secretary (in whole-time practice) ◯ Statutory auditor

*Whether associate or fellow ◯ Associate ◯ Fellow

*Membership number or certificate of practice number

Modify — Check Form — Prescrutiny — Submit

For office use only:

This e-Form is hereby registered

Digital signature of the authorising officer

Signing authorisation

[F. No. 1/9/2008 CL.V]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 750 (E) dated the 1st October, 2001 and subsequently amended *vide* Notification No. G.S.R. 135 (E) dated 3-3-2006 in the Gazette of India.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.